



# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

दिनांक: 08 सितम्बर, 2023

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/2284/2023

सेवा में,

सचिव,  
लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय,  
अलीगढ़।

विषय: स्नातक स्तर पर कला/वाणिज्य संकायान्तर्गत प्रवक्ता एवं प्राचार्य पद पर चयन हेतु विषय-विशेषज्ञ नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 22.07.2023 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलपति जी ने महाविद्यालय में रिक्त स्नातक स्तर पर कला/वाणिज्य संकायान्तर्गत विषयों/पाठ्यक्रमों हेतु प्रवक्ता एवं प्राचार्य के पद पर चयन हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञों को नामित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

क्र0	विषय/पद	विशेषज्ञ का नाम व पता
1	प्राचार्य	1. प्रो0 शुभनेश कुमार गोयल, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़। 2. प्रो0 दानवीर यादव, प्राचार्य, एस0एन0 कालेज, चंदौसी। 9719658582 3. प्रो0 अमर नाथ, आगरा कालेज, आगरा।
2	हिन्दी	1. प्रो0 रमेश कुमार, श्री वाष्ण्य कालेज, अलीगढ़। 2. डॉ0 मनु प्रताप, बरेली कालेज, बरेली। 9411009012
3	अंग्रेजी	1. डॉ0 संगीता अरोड़ा, एस0आर0डी0 कालेज, हाथरस। 2. डॉ0 चारु मल्होत्रा, 9412148838
4	अर्थशास्त्र	1. डॉ0 विक्रम सिंह, राजकीय महाविद्यालय, टप्पल, अलीगढ़। 2. डॉ0 इसरार खान, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली। 9412603010
5	समाजशास्त्र	1. डॉ0 नरेन्द्र कुमार, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़। 2. प्रो0 जे0के0 पुण्डीर, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। 9412356649
6	राजनीतिशास्त्र	1. डॉ0 शकील अहमद, जे.एल0एन0 कालेज, एटा। 2. डॉ0 महेन्द्र कुमार, बी0वी0एम0 कालेज, बाह, आगरा।
7	शिक्षाशास्त्र	1. प्रो0 प्रदीप कुमार, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़। 2. डॉ0 विनिता गुप्ता, डी0डी0एम0 कालेज, फिरोजाबाद।
8	गृहविज्ञान	1. डॉ0 नीता वाष्ण्य, श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़। 2. डॉ0 किरण सिंह, बी0डी0 जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा।
9	बी0काम0	1. डॉ0 बृजेश कुमार, श्री वाष्ण्य कालेज, अलीगढ़। 2. डॉ0 मनुकान्त शास्त्री, आर0बी0एस0 कालेज, आगरा।

1. कृपया नामित विशेषज्ञों से सम्पर्क कर चयन समिति आहूत करने का कष्ट करें।

2. (क) महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत होगा।

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य   | — | अध्यक्ष |
| 2. महाविद्यालय का प्राचार्य   | — | सदस्य   |
| 3. सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष   | — | सदस्य   |
| 4. कुलपति जी द्वारा दो नाम निर्देशित, जिसमें एक सम्बन्धितविषय का विशेषज्ञ हो  | — | सदस्य   |
| 5. दो विषय विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो, कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पॉच विशेषज्ञों के पैनल में से अध्यक्ष प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। | — | सदस्य   |

नोट: यदि महाविद्यालय में कोई प्राचार्य अथवा शिक्षक न हो तो शेष सदस्यों से चयन समिति का गठन हो जायेगा।

3. चयन समिति की बैठक के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों को महाविद्यालय की प्रबन्ध के सम्मुख प्रस्तुत कर उसकी सहमति/संस्तुति लेना अनिवार्य होगा।

4. विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र/अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

- विज्ञापित पदों के विज्ञापन की मूलप्रति एवं महाविद्यालय को प्राप्त सम्बद्धता सम्बंधी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का फोटो कॉपी।
- चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त/संस्तुति पत्र, जिसमें चयनित व प्रतीक्षा सूची सहित, चयन समिति का अभ्यर्थियों के साथ छायाचित्र।
- चयन समिति की संस्तुतियों पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
- चयन समिति द्वारा संस्तुत प्राचार्य का रू 10/-के दो पृथक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (फोटोग्राफ सहित)।



6. चयनित अभ्यर्थी का मूल आवेदन-पत्र सभी शैक्षिक अभिलेखों की अंक तालिकाओं एवं प्रमाण-पत्रों के प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
7. चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुभव प्रमाण पत्र, पूर्व महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं उनसे पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र संलग्न किया जाये।
8. अध्यक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में नामिती का पत्र।
9. विभागाध्यक्ष यदि होतो, प्रमाणित अभिलेख/अनुमोदन पत्र की प्रति।
5. विशेषज्ञों का उपर्युक्त पैनल एक माह के लिए वैध होगा तथा इसका उपयोग सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष ही किया जायेगा।
6. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के पदों पर चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शिक्षक को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
7. चयन समिति प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति उत्तर-प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -377 / सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03.12.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जायेगा।
8. महाविद्यालय प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इनका अनुमोदन अन्य महाविद्यालय में तो नहीं है, जिससे शिक्षकों की पुनरावृत्ति न हो सके।
9. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के चयन की कार्यवाही को विश्वविद्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।
10. माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के चयन की बैठक हेतु विश्वविद्यालय रु. 5000/-खाता सं. 1489100100000981 IFSC Code- PUNB0148910 पंजाब नेशनल बैंक, खैर, अलीगढ़ में जमा होगा।
11. चयन समिति के गठन हेतु कुलपति जी के दोनो नाम निर्देशित तथा पाँच विशेषज्ञों में से किन्हीं दो विषय-विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है।
12. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के पश्चात पत्रावली एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में प्रेषित करें।

भवदीय,

डा०(महेश कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. गार्ड फाइल।

कुलसचिव